LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY , UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND,GOMTINAGAR ,LUCKNOW

PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-LUCKNOW

PRINT DATE :- 12/09/2017

APPLICATION NO: 43564 **FILE NO :** NR-160/EE/M.CELL/2012

WARD: **SCHEME :** GOMTI NAGAR

PERMIT NO: 42235

SITE OF GROUP HOUSING

SECTOR : SECTOR 1 **PROPERTY NO** GH-1/20

NAME: ASHOK KUMAR AGARWAL

Address: 13/20, MUNSHI PULIA CHAURAHA, INDIRA NAGAR LKO

Sanction vide order dated **31/03/2015** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity: 30/03/2020 or expiry date of Lease deed whichever is earlier

Restriction If Required: पृष्ठ भाग पर अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

12.9.17

Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P

प्रतिबन्ध–

1 अग्निशमन विभाग की प्रोविजनल अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

2 भवन निर्माण अवधि में लेबर ऐक्ट तथा नेशनल सेफ्टी बिल्डिंग काउंसिल के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।

3 शासनादेश के क्रम में समस्त भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास आदि का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।

4 समस्त अवस्थापना सुविधाओं का विकास, सीवरेज का विकास/कनेक्टिविटी, कूडा हेतु स्थान का प्राविधान तथा सुरक्षित डिस्पोजल हेतु पक्ष द्वारा स्वतः सुनिश्चित करना होगा।

5 नेशनल बिल्डिंग कोड. के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।

6 विकलांग, दृष्टिबाधित व आषक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेष के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।

7 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।

8 भू–स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उतपन्न होने की दशा में उसका निस्तारण भू–स्वामी द्वारा स्वयं किया जाना होगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9 उ0 प्र0 अपार्टमेंट एक्ट व रेरा **RERA** एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।

10 जिलाधिकारी से खनन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात बेसमेंट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11 प्रस्तुत शपथ पत्र के क्रम में विधुत विभाग की एन.ओ.सी. प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

12 बेसमेंट का निर्माण कराते समय अगल–बगल की सम्पत्ति की सुरक्षा करनी होगी, किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

13 पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग के रूप में ही करना होगा, अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा

14. भू–स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गढढे न हों तथा उसमें जलभराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।

15 यदि भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य किसी विभाग की कोई देनदारी निकलती है तो मांगे जाने पर पक्ष को अविलम्ब जमा कराना होगा।

16 प्रस्तुत शपथ पत्र के क्रम में शासनादेष संख्या– 410/8–3–16–18 विविध/2016 दिनांकः 22 मार्च 2016 के क्रम में आगणित परियोजना लागत पर प्रथम वर्ष हेतु 10 प्रतिशत लागत का 1 प्रतिशत लागत का सेस शुल्क जमा किया गया है। अवशेष धनराशि का लेबर सेस प्रत्येक वर्ष परियोजना अवधि का श्रम विभाग में जमा कर सत्यापित रसीद की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

17 स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित करते हुए निर्धारित प्रारूप का बोर्ड लगाना होगा।

18 प्रस्तुत स्ट्रक्चर डिजायन एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्माण करने की समस्त जिम्मेदारी पक्ष/निर्माणकर्ता की होगी।

19 भवन में रूफटाप सोलर फोटो वोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।